महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)
कार्यालय : फोन : 07682–244442, फैक्स : 07682–244442
E-mail - mchhatrasaluniversity@gmail.com

क्रमांक/आई0टी0सेल/1591/2018 छतरपुर, दिनांक 14/05/18

वार्षिक परीक्षा पद्धति के लिए अधिसूचना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा सत्र 2017–18 से स्नातक स्तर पर वार्षिक पद्धति को लागू करने हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 1236/359/2017 भोपाल, दिनांक 29.08.2017 संलग्न सूची अनुसार 79 विषयों के वार्षिक पद्धति से पाठ्यक्रम बनवाये गये हैं जिन्हे सत्र 2017–18 से प्रारम्भ हुए अकादमिक सत्र में लागू किया गया है।

म0प्र0 शासन के पत्र क्रमांक 710/55/अ.उ.शि./शाखा–5 'अ'/2017 भोपाल, दिनांक 08.06.2017 के अनुसार पाठ्यक्रम में द्वि–प्रश्न पत्र प्रणाली में नियमित विद्यार्थियों के लिये 20 अंको का आंतरिक मूल्यांकन (10 अंक त्रैमासिक तथा 10 अंक छमाही) के साथ 40–40 अंको के सैद्धांतिक दो प्रश्न पत्र होगें। इस तरह कुल 80 अंक सैद्धातिक प्रश्न पत्र के लिये रहेगें। जिसमें वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगें। स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिये प्रति प्रश्न पत्र 50 अंको का होगा। प्रायोगिक विषयों के लिये 50 अंको की प्रायोगिक परीक्षा होगी जो नियमित एवं स्वाध्यायी के लिये होगी।

प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्णाक 33% होगें।

पूरक केवल एक विषय में होगा दो विषय में पूरक होने पर फेल माना जायेगा। पूरक परीक्षार्थियों को दो मौके दियें जायेगें।

श्रेणी 60% एवं इससे अधिक प्रथम श्रेणी

45% एवं 60% से कम द्वितीय श्रेणी

न्यूनतम उत्तीर्णाक 33% एवं 45% से कम तृतीय श्रेणी

कृपांक कुलपति कृपांक (के.जी.) 01 नंबर, जो फेल से पास होने के लिए एवं श्रेणी प्रभावित होने की दशा में माननीय कुलपति की अनुमति से 01 नम्बर का कृपांक एक विषय में दिया जा सकेगा। सामान्य कृपांक (जी) अधिकतम 3 नम्बर का होगा जो दो विषय में दिया जा सकेगा।

यदि कोई विद्यार्थी पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि (स्नातक 05 एवं स्नातकोत्तर 04 वर्ष) एवं 1 वर्ष एक्स्टेनशन का उपयोग करने के बाद भी पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसको शेष पाठ्यक्रम स्वाध्यायी छात्र के रूप में पंजीकृत हो कर उत्तीर्ण करना होगा। ऐसे विद्यार्थीयों पर पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि एवं उपस्थिति का बंधन बाध्यकारी नहीं होगा।

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त शासकीय/सहायता प्राप्त/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर वार्षिक पद्धति हेतु इस संबंध में अध्यादेश तैयार किया गया है जो सत्र 2017–18 से लागू रहेगा। वि0वि0 की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कुलसचिव
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,
छतरपुर (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक/आई0टी0सेल/1591/2018 छतरपुर, दिनांक 14/05/18

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, संभाग सागर की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त प्राचार्य, सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.छ.बु. विश्वविद्यालय, छतरपुर
4. संबंधित परीक्षा प्रभारी/अधीक्षक ....
5. वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कुलसचिव
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,
छतरपुर (म0प्र0)